उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

सं0 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2007
दिनांक:: देहरादून:: जनवरी ,22, ,2007

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

अनुसूची–I की क्रम संख्या 69 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात–

70. रूपये 250 मूल्य तक के हैण्डलूम व पावरलूम पर निर्मित कम्बल और शाल।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त

सं0 51 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित–

1–कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250–250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

प्रमुख सचिव वित्त,

5742
24-1-07